न्यायालय–सेशन न्यायाधीश, जैसलमेर

पीठासीन अधिकारी – श्री ओमी पुरोहित, (जिला न्यायाधीश)

अपील फौजदारी प्रकरण संख्या–14/2026

बाबुसिंह पुत्र तगसिंह, उम्र–40 साल, निवासी कीता, पुलिस थाना सदर, जिला जैसलमेर।
–अपीलार्थी

बनाम

राज्य सरकार जरिये लोक अभियोजक, जैसलमेर **–प्रत्यर्थी**

अपील अन्तर्गत धारा 415 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 विरूद्ध निर्णय व दण्डादेश दिनांक–16.04.2026 जो विजेन्द्र कुमार, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जैसलमेर द्वारा फौजदारी मूल प्रकरण संख्या–265/2018 राज्य बनाम बाबुसिंह में पारित किया, से क्षुब्ध होकर

उपस्थिति–

01. श्री किशनप्रतापसिंह राठौड–विद्वान अधिवक्ता, अपीलार्थी की ओर से
02. श्री श्यामपालसिंह राठौड, लोक अभियोजक, वास्ते राज्य।

निर्णय दिनांक–24.07.2026

01. अपीलार्थी/अभियुक्त बाबुसिंह ने यह अपील मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जैसलमेर द्वारा दिनांक–16.04.2026 को दोषसिद्ध कर दण्डित करने से व्यथित होकर पेश की है।

02. अपील उद्भव होने के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 02.06.2018 को परिवादी जीतसिंह, सहायक उपनिरीक्षक, पुलिस थाना सदर, जैसलमेर ने उपस्थित थाना होकर एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि वह थाने से मय पुलिस जाब्ता लोकल एवं स्पेशल एक्ट की कार्यवाही हेतु वक्त 08.26 पीएम पर सरकारी वाहन से रवाना होकर मुखबीर इत्तिला अनुसार ग्राम कीता पहुंचे तो एक व्यक्ति अपने घर के पास गली में काफी मात्रा में कार्टून लेकर बैठा मिला, जो पुलिस की गाडी व जाब्ता को देखकर भागने लगा, जिसे जाब्ते में साथ आये कानि० प्रकाशचंदु ने बाबुसिंह पुत्र तगसिंह के रूप में पहचाना, जो अंधेरे व गलियों का फायदा उठाकर भाग गया। फिर कार्टूनों की तलाशी लेने पर उसमें 7 कार्टून किंगफिशर स्ट्रोंग बीयर, जिसमें प्रत्येक कार्टून में 12 बोतल बीयर व एक कार्टून में ऑफिसर चॉईस अंग्रेजी शराब के पव्वे का जिसमें कुल 48 पव्वे ऑफिसर चोईस व्हिस्की के व 1 खुला कार्टून

जिसमें 24 पव्वे ऐसी सैक व्हिएस्कीज के भरे बरामद किये गये, इत्यादि। जिस पर प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या–55/2018 अंतर्गत धारा 19/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम के तहत दर्ज की गई एवं अनुसंधान प्रारंभ किया गया एवं बाद अनुसंधान अभियुक्त बाबुसिंह के विरूद्ध धारा 19/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम के तहत आरोप पत्र पेश पेश हुआ।

03. अपीलार्थी/अभियुक्त बाबुसिंह को धारा 19/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम के तहत आरोप विरचित कर सुनाया व समझाया गया, तो अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही। शहादत में अभियोजन की ओर से कुल 10 गवाहान के बयान लेखबद्ध कराये व दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श पी–01 लगायत प्रदर्श पी–09 दस्तावेज पेश कर प्रदर्शित करवाये गये।

04. अपीलार्थी/अभियुक्त को धारा–313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत परीक्षित किया गया, तो उसने अभियोजन शहादत को गलत होना बताया एवं प्रतिरक्षा साक्ष्य पेश नहीं की।

05. बाद विचारण विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा अपीलार्थी बाबुसिंह को धारा 19/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम में दोषसिद्धि के फलस्वरूप 01 वर्ष के साधारण कारावास की सजा से एवं राशि 20,000/–रूपये (अक्षरे बीस हजार रूपये मात्र) अर्थदण्ड से दंडित किया गया साथ ही अदम अदायगी जुर्माना अभियुक्त 20 दिन का साधारण कारावास पृथक से भुगतने, से दण्डित किया, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश की गई है।

06. बहस अपील सुनी गई एवं पत्रावली व जैर अपील निर्णय का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया।

07. विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी/अभियुक्त ने बहस के दौरान जाहिर किया कि दोषसिद्धि पर उनको कोई आपत्ति नहीं हैं, केवल दण्डादेश पर आपत्ति रखते हैं।

08. विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी/अभियुक्त ने बहस के दौरान यह भी जाहिर किया कि अपीलार्थी/अभियुक्त प्रकरण में वर्ष, 2018 से अन्वीक्षा भुगत रहा है। अपीलार्थी का यह प्रथम अपराध है। वह ग्रामीण परिवेश का गरीब व्यक्ति होकर परिवार में कमाने वाला एक मात्र सदस्य है, जिसे तुरंत कारावास दण्ड से दण्डित किया जायेगा, तो उसके परिवार के भूखों मरने की सम्भावना है। अतः अपीलार्थी/अभियुक्त को परिवीक्षा अधिनियम के तहत परिवीक्षा पर रिहा करने का निवेदन किया।

09. विद्वान लोक अभियोजक ने उक्त तर्कों का विरोध करते हुए विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील निर्णय व दण्डादेश को विधिसम्मत होना बताते हुए

अपीलार्थी/अभियुक्त की अपील खारिज करने का निवेदन किया।

10. मैंने उभय पक्षों के तर्कों पर मनन किया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध धारा–19/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम का आरोप साबित होना माना है। विद्वान अधिवक्ता ने भी बहस करते हुए मुख्य रूप से यही जाहिर किया कि अपीलार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि के निर्णय के विरूद्ध उन्हें कुछ नहीं कहना है। अतः उक्त दोषसिद्धि में किसी प्रकार की कोई तथ्यात्मक एवं वैधानिक त्रुटि नहीं है एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध धारा–19/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम के आरोप में पारित दोषसिद्धि की पुष्टि की जाती है, किन्तु अपीलार्थी/अभियुक्त प्रकरण में वर्ष, 2018 से अन्वीक्षा भुगत रहा है। अपीलार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान भी यही जाहिर किया है कि अपीलार्थी/अभियुक्त का यह प्रथम अपराध है, वह ग्रामीण परिवेश का गरीब व्यक्ति होकर परिवार में कमाने वाला एक मात्र सदस्य है, जिसे तुरंत कारावास के दण्ड से दण्डित किया जायेगा, तो उसके परिवार के भूखों मरने की सम्भावना है। अतः प्रकरण के सभी तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अपीलार्थी/अभियुक्त बाबुसिंह को धारा–19/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम के आरोप की दोषसिद्धि पर तुरन्त कारावास से दण्डित नहीं कर परिवीक्षा अधिनियम का लाभ प्रदान किया जाना न्यायोचित समझता हूं।

–आदेश–

11. परिणामतः अपीलार्थी/अभियुक्त **बाबुसिंह** पुत्र तगसिंह, उम्र–40 साल, निवासी कीता, पुलिस थाना सदर, जिला जैसलमेर की ओर से प्रस्तुत यह अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध नियमित फौजदारी प्रकरण संख्या–265/2018 राज्य बनाम बाबुसिंह में पारित जैर अपील निर्णय दिनांक 16.04.2026 में धारा 19/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम के आरोप में की गई दोषसिद्धि की पुष्टि की जाती है, किन्तु अपीलार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध उक्त दोषसिद्धि के सम्बन्ध में पारित जैर अपील दण्डादेश अपास्त कर अपीलार्थी/अभियुक्त को तुरंत कारावास की सजा से दण्डित नहीं कर परिवीक्षा अधिनियम का लाभ दिया जाकर आदेश दिया जाता हैं कि अपीलार्थी/अभियुक्त धारा–4(1) अपराधी परिवीक्षा अधिनियम के तहत एक माह के भीतर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय में पच्चीस हजार रूपये का मुचलका व पच्चीस हजार रूपये की एक जमानत एक वर्ष की कालावधि के

लिये इस आशय की पेश कर तस्दीक करा दें कि वह इस अवधि के दौरान जुर्म की पुनरावृति नहीं करेगा, सदाचारी रहेगा एवं न्यायालय द्वारा तलब करने पर सजा भुगतने हेतु उपस्थित रहेगा, तो उसे परिवीक्षा पर रिहा कर दिया जाये। विचारण न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रति के साथ अविलम्ब प्रेषित की जाये।

(ओमी पुरोहित)
सेशन न्यायाधीश
जैसलमेर

12. निर्णय आज दिनांक–24.07.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमी पुरोहित)
सेशन न्यायाधीश
जैसलमेर

Signature Not Verified
Digitally signed by
Date: 2026.07.28 14:53:24 IST